Regarding providing land rights to displaced people in Kheri

श्री उत्कर्ष वर्मा मधुर **(खीरी)** : माननीय सभापति महोदय जी, मैं आपका ध्यान अति महत्वपूर्ण विषय 28-खीरी लोक सभा उत्तर प्रदेश के अंतर्गत तहसीलों में हरिजन कल्याण विभाग, गवर्नमेन्ट ग्रान्ट एक्ट पुनर्वास द्वारा विस्थापित बंगालियों, हरिजनों और जनजातियों से संबंधित किसानों को भूमिधरी अधिकार दिलाने की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं । 28-खीरी लोक सभा की तहसील पलिया में गवर्नमेन्ट ग्रान्ट एक्ट में आवंटित कर 12 कालोनियां बसाई गई थीं - गोविन्द नगर, भानपुरी, कमलापुरी, कृष्णा नगर, बसही, रानी नगर, मुरारखेड़ा, सुमेर नगर, इब्राहिमपुर, विचित्र नगर, विशेनपुरी गिरधरपुर कालोनियां । हरिजन समाज कल्याण द्वारा तहसील गोला में कुसमौरी कालोनी, भटरपुरवा कालोनी, तहसील मोहम्मदी की साहबगंज कालोनी, तहसील लखीमपुर में नकाब पीपरी कॉलोनी, पुनर्वास विभाग द्वारा विस्थापित बंगाली शरणार्थियों को आवंटित भूमि तथा पलिया व निघासन तहसील में थारू जनजाति को भूमि आवंटित की गई थी । इनको जिला लखीमपुर, उत्तर प्रदेश में भूमि का अधिकार दिलाने की कृपा करें ।

माननीय सभापति **:** श्री राजू बिष्ट जी, आप अपनी बात एक मिनट में रखिए ।